प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2884-75

पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू./मातृ स्वा./आउटरीचसे0/122/2013–14/ दिनांक– 13.08.2013

विषय– गम्भीर रक्ताल्पता वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान व देखभाल सुनिश्चित करने के लिये आशाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने के लिये प्रदेश सरकार सभी गर्भवती महिलाओं को गुणवत्ता परक प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान किये जाने के लिये प्रतिबद्ध है। प्रदेश में मातृ मृत्यु का एक प्रमुख कारण गर्भवती महिलाओं में गम्भीर रक्ताल्पता है सामान्यतया कुल गर्भवती महिलाओं में से लगभग 50 प्रतिशत महिलाओं में खून की कमी पायी जाती है जिनमें से 2–3 प्रतिशत महिलायें गम्भीर रक्ताल्पता (Hb<7gm%) से ग्रसित होती हैं।

1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक गर्भवती महिला के हीमोग्लोबिन की जाँच का प्रावधान किया गया है जिससे एनीमिया का पता लग सके एवं शीघ्र अति शीघ्र उपचार आरम्भ किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत आशाओं के माध्यम से गाँव की गर्भवती माताओं की सम्पूर्ण गुणवत्तापरक प्रसव पूर्व देखभाल सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2013–14 में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आशाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन धनराशि में संशोधन कर दिया गया है।
2. गर्भवती महिलाओं की प्रथम जाँच से ही हीमोग्लोबिन की जाँच किया जाना अति आवश्यक है जिसका अंकन एम0सी0टी0एस0 में भी किया जाता है।एम0सी0टी0एस0 पोर्टल के माध्यम से गम्भीर रक्ताल्पता (Hb<7gm%) वाली गर्भवती महिलाओं की ग्राम वार सूची उपलब्ध हो जाती है जिसका प्रदर्शन प्रत्येक ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा इकाई के नोटिस बोर्ड पर किया जाये।
3. ब्लाक स्तरीय चिकित्सा इकाई पर सभी ए0एन0एम0 की बैठक के लिए सप्ताह का एक दिन (मंगलवार/शुक्रवार) पूर्व से ही निश्चित किया गया है। इस अवसर पर प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करें कि सभी ए0एन0एम0 इस बैठक में प्रतिभाग करें एवं उनके पास क्रियाशील हीमोग्लोबिनोमीटर अथवा हीमोग्लोबिन रैपिड टेस्टिंग किट उपलब्ध हो तथा उन्हें इसका उपयोग भी आता हो।
4. हीमोग्लोबिन की जाँच के अभ्यास के लिए उनको प्रत्येक सप्ताह चिकित्सा इकाई की प्रयोगशाला में लैब टेक्निशियन के माध्यम से अभ्यास कराया जाए तथा उनके कौशल के स्तर का फीडबैक लिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि शतप्रतिशत ए0एन0एम0 इस कार्य में दक्ष हों।
5. प्रत्येक सप्ताह ए0एन0एम0 के क्षेत्र की गम्भीर रक्ताल्पता (Hb<7gm%) वाली गर्भवती महिलाओं की ग्राम वार सूची उपलब्ध कराई जाये, जिससे ए0एन0एम0 आशाओं के माध्यम से उन महिलाओं का उपचार/सन्दर्भन तथा नियमित जाँच सुनिश्चित कर सकें।
6. गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं खानपान सम्बन्धी देखभाल तथा नियमित रूप से आयरन फोलिक एसिड की गोलियों का सेवन सुनिश्चित कराने के लिये आशाओं की क्षमतावृद्धि ए0एन0एम0 के माध्यम से किये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किये जायें।

7. ब्लॉक स्तर पर प्रति सप्ताह गम्भीर रक्ताल्पता वाली गर्भवती महिलाओं के हीमोग्लोबिन में बढ़ोत्तरी की समीक्षा की जाये तथा उन आशाओं को प्रोत्साहन धनराशि दी जाये जिन्होंने किसी गम्भीर रक्ताल्पता वाली गर्भवती
महिला के हीमोग्लोबिन में 2.00 ग्राम प्रतिशत की बढ़ोत्तरी सुनिश्चित किये जाने में सहयोग किया हो।
8. **प्रोत्साहन धनराशि–** भारत सरकार ने उपर्युक्तानुसार गम्भीर रक्ताल्पता वाली गर्भवती महिलाओं के हीमोग्लोबिन में 2 ग्राम या अधिक बढ़ोत्तरी पाये जाने पर सम्बन्धित आशा को रू0–200.00 प्रति गर्भवती महिला की दर से प्रोत्साहन धनराशि दिये जाने का प्रावधान स्वीकृत किया है।
9. इसके लिये गम्भीर रक्ताल्पता वाली गर्भवती महिलाओं की अलग से ग्राम वार सूची तैयार कर, प्रत्येक बार की गयी हीमोग्लोबिन जाँच के परिणाम लाभार्थी के एम0सी0टी0एस0 आई–डी पर तथा उसके मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड (एम0सी0पी0 कार्ड) में अंकित किया जाये जिससे उनके हीमोग्लोबिन में बढ़ोत्तरी की समीक्षा किया जाना सम्भव हो तथा उसी को आधार मानकर सम्बन्धित आशा को प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान किया जा सके।
10. **वित्त पोषण–** इस गतिविधि को आरम्भ करने के लिये आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के एफ0एम0आर0 कोड संख्या–**A.8.1.10.5** में राज्य स्तर पर इस वर्ष मात्र **3000** गंभीर रक्त अल्पता (Hb<7gm) वाली गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य एवं खान–पान सम्बन्धी देखभाल तथा नियमित रूप से आयरन की गोलियों का सेवन सुनिश्चित कराने एवं उनका हीमोग्लोबिन कम से कम 2 ग्राम तक बढ़ाये जाने पर रू0–200.00 प्रति गर्भवती महिला प्रति आशा की दर से कुल रू0–6.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। उक्त धनराशि जनपदों में गर्भवती महिलाओं की अनुमानित संख्या के अनुपात में आबंटित की जा रही है जिसकी जनपदवार फांट संलग्न है।
    - किसी भी आशा को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायगा।
    - आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाय।
    - मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रत्येक माह एवं अन्य ब्लॉक प्रभारी प्रति सप्ताह अपने क्षेत्र की गम्भीर रक्ताल्पता वाली गर्भवती महिलाओं की सूची की समीक्षा करेंगे एवं उनके हीमोग्लोबिन में बढ़ोत्तरी की एवं आशाओं के भुगतान की समीक्षा करेंगे।
    - समस्त अभिलेखों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर संकलित किया जायगा।
    - उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

09/09/13

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या– एस.पी.एम.यू./मातृ स्वा./आउटरीचसे0/122/2013–14/ **तद्दिनॉक**

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त डिवीजनल प्रोग्राम मैनेजर्स, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक–एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

Sl. No.	Name of Districts	Midyear pop 2013-14	Expected pregnant women	No. of expected severely anemic pregnant women whose Hb improves by 2 gm	Budget for ASHA @ Rs.200/- per severely anemic PW whose Hb improves by 2 gm
	FMR Code				A.8.1.10.5
1	आगरा	4586418	111450	62	12400
2	फिरोजाबाद	2613954	62212	35	7000
3	मथुरा	2661205	60409	34	6800
4	मैनपुरी	1933897	50475	28	5600
5	अलीगढ़	3846291	103465	58	11600
6	एटा	1843816	52364	29	5800
7	कासगंज	1505660	45019	25	5000
8	हाथरस	1639168	39504	22	4400
9	इलाहाबाद	6239537	155364	87	17400
10	कौशाम्बी	1671864	39958	22	4400
11	फतेहपुर	2756257	68631	38	7600
12	प्रतापगढ़	3322721	99682	56	11200
13	शाहजहॉपुर	3143301	89584	50	10000
14	बरेली	4674937	126223	71	14200
15	बदायूं	3342243	103275	58	11600
16	पीलीभीत	2132848	55027	31	6200
17	जालौन	1749138	39705	22	4400
18	झांसी	2094666	41055	23	4600
19	ललितपुर	1275172	34812	19	3800
20	हमीरपुर	1155841	27740	16	3200
21	महोबा	917175	23480	13	2600
22	बांदा	1884008	52187	29	5800
23	चित्रकूट	1037125	26032	15	3000
24	सुल्तानपुर	2292103	52260	29	5800
25	अमेठी	2548766	64994	36	7200
26	अम्बेदकर नगर	2511299	63285	35	7000
27	फैजाबाद	2584231	65898	37	7400
28	बाराबंकी	3410906	88684	50	10000
29	गोण्डा	3592448	97355	55	11000
30	बलरामपुर	2249939	81673	46	9200
31	बहराइच	3641519	117257	66	13200
32	श्रावस्ती	1166932	47728	27	5400
33	बलिया	3374952	81336	46	9200
34	आजमगढ़	4833197	117930	66	13200
35	मऊ	2308676	51483	29	5800
36	गोरखपुर	4644503	116577	65	13000
37	देवरिया	3244080	86293	48	9600
38	कुशीनगर	3727967	108111	61	12200
39	महाराजगंज	2790395	84270	47	9400
40	बस्ती	2576573	97910	55	11000
41	सिद्धार्थनगर	2673382	73785	41	8200
42	संत कबीर नगर	1794766	55817	31	6200
43	कानपुर देहात	1879350	37963	21	4200
44	कानपुर नगर	4787595	86177	48	9600
45	इटावा	1653282	37695	21	4200
46	औरैया	1436699	35486	20	4000
47	फर्रुखाबाद	1976175	53159	30	6000
48	कन्नौज	1735828	41313	23	4600

49	रायबरेली	2691770	60834	34	6800
50	लखनऊ	4803826	90312	51	10200
51	सीतापुर	4684466	133039	75	15000
52	उन्नाव	3256600	70994	40	8000
53	हरदोई	4283421	119507	67	13400
54	खीरी	4202025	115135	64	12800
55	गाजियाबाद	3536985	76399	43	8600
56	गौतमबुद्धनगर'	1753321	42080	24	4800
57	मेरठ	3609218	88787	50	10000
58	बागपत	1363277	31083	17	3400
59	हापुड़	1343266	29015	16	3200
60	बुलंद शहर	3662719	96329	54	10800
61	सहारनपुर	3626831	96474	54	10800
62	मुजफरनगर	2806423	67915	38	7600
63	शामली	1526439	40603	23	4600
64	बिजनौर	3856810	94492	53	10600
65	मुरादाबाद	3284923	84751	47	9400
66	अमरोहा	1925079	51015	29	5800
67	सम्भल	2257018	58231	33	6600
68	रामपुर	2445016	62592	35	7000
69	मिर्जापुर	2611621	74954	42	8400
70	सोनभद्र	1950039	43291	24	4800
71	भदोही	1627154	41167	23	4600
72	वाराणसी	3855028	76715	43	8600
73	जौनपुर	4686168	123715	69	13800
74	चंदौली	2044369	49269	28	5600
75	गाजीपुर	3792769	86096	48	9600
		208949366	**5356886**	**3000**	**600000**